न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 97 / 2011 (उदयपुर आर्डर)

कन्हैयालाल पिता शिवलाल जी गुजर, निवासी 434, टेकरी, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा– 75 राजस्थान भू
राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश
प्रभारी अधिकारी समस्या समाधान शिविर
1992, दिनांक 20.06.1992 प्र.सं. 47 / 92

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) : 1– श्री खेमराज राज डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 30–08–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्री शिवलाल पिता उदयलाल गुजर द्वारा कमा ओडवाडिया की आराजी नंबर 1795 / 1774 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि आवंटन प्रयोजनार्थ आवंटन का आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पर भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 20–06–1992 को उपरोक्त आराजी में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन श्री शिवलाल को किया गया तथा प्रभारी अधिकारी समस्या समाधान शिविर द्वारा आवेदित आराजी में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया। उक्त आवंटन आदेश की पालना में 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का कब्जा पटवारी हल्का द्वारा शिवलाल को सुपुर्द किया गया तथा पट्टा भी दिनांक 15–09–1993 को 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का ही जारी किया गया है।

आवेदक शिवलाल के पुत्र कन्हैयालाल द्वारा प्रभारी अधिकारी समस्या समाधान शिविर के उक्त आदेश दिनांक 20–06–1992 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18–07–2011 को प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता शिवलाल भूतपूर्व सैनिक होने से उन्हें भूमि आवंटित की गयी, लेकिन अमल दरामद 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का ही किया गया, लेकिन कब्जा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर आवंटन के तहत चला आ रहा है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट को नाजायज कब्जा हटाने हेतु कहा गया तो अपीलान्ट ने दिनांक 05–07–2011 को रेकार्ड देखा तो उसे पता चला कि उसके खाते में 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि ही दर्ज है, शेष 17 बिस्वा भूमि बिलानाम दर्ज कर दी गयी है। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की जा रही है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ हमारे द्वारा उक्त दफा 5 जाब्ता मयाद के आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी तो यह पाया कि वर्ष 1992 में अपीलान्ट के पिता शिवलाल को 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि भूमि का आवंटन किया जाकर पट्टा भी वर्ष 1992–93 में 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का ही जारी किया गया है तथा पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के पिता शिवलाल को कब्जा भी 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का ही सुपुर्द किया है। अब उक्त आवंटन के 18 वर्षो बाद तथा आवंटी शिवलाल के निधन के बाद उसके पुत्र द्वारा इस प्रकार का आवेदन दिया जाना एवं दफा 5 जाब्ता मयाद के आवेदन में मयाद कण्डोन किये जाने हेतु जो कथन किये गये हैं, उसमें वर्णित आधार न तो उचित हैं, न ही पर्याप्त। अर्थात अपीलान्ट के पिता को वर्ष 1992 में हुए आवंटन की जानकारी अपीलान्ट को होना पत्रावली के रेकार्ड से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है। तद्नुसार अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी तथा प्रकरण के गुणावगुण पर भी विचार किया गया तो यह पाया कि अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह आधार लिया गया है कि उसका 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर कब्जा है, परन्तु भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा 2 बीघा 10 बिस्वा का ही आवंटन किया गया है। प्रथमता तो हमारे लिए यह महत्वपूर्ण

बिन्दु है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवेदित भूमि के कुल रकबे के स्थान पर यदि कम भूमि आवंटित की गयी है तो उक्त आवंटन सलाहकार समिति के उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील की पोषणीयता एवं क्षेत्राधिकार नहीं है तथा भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा यदि कम भूमि का आवंटन किया गया है तो वह सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाकर किया गया है एवं उसी क्रम में उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन आदेश जारी कर कब्जा सिपुर्द किया गया है। यदि अपीलान्ट उक्त शेष 17 बिस्वा बिलानाम भूमि का आवंटन चाहता है तो इसके लिए उसे पृथक से आवंटन/ नियमन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था। अपीलान्ट को बिलानाम भूमि पर नाजायज कब्जे के आधार पर अपना अधिकार मानकर उसके लिए अपील प्रस्तुत किये जाने की कोई अधिकारिता नहीं है। तद्नुसार अपील गुणावगुण पर भी पोषणीय नहीं है।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20–06–1992 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–08–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर